संख्या-15/2019/339/38-4-19-14(विविध)/2016टी0सी0-III

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः **दिनांक-25 जून, 2019**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक अपने पत्रांक-943A/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2019-20 दिनांक 07 जून, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-G-20011/02/2019-RH(A/C) 366244, दिनांक 08.03.2019 में निहित दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपदवार लक्ष्यों के निर्धारण का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-42/2016/1449/38-4-16-14(विविध)/2016 टीसी, दिनांक-08.11.2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत जिन 06 श्रेणी के ग्रामों को संतृप्त करने का निर्णय लिया गया था, उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन के अनुसार ग्रामों को वरीयता क्रम में संतृप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये ग्राम।
(2) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम।
(3) प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत चिन्हित 10 ग्राम।
(4) डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन RURBAN मिशन में चिन्हित क्लस्टर के ग्राम।
(5) DAY-NRLM के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्त नेटवर्क वाले चिन्हित प्रत्येक जनपद के 05-05 ग्राम।
(6) कालाजार रोग से प्रभावित ग्राम।

3- भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.03.2019 में विहित निर्देशों के अन्तर्गत यथासम्भव 15 प्रतिशत की सीमा तक अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्थायी पात्रता सूची में सामान्य/अल्पसंख्यक श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में जनपदों की आख्या के आधार पर निर्धारित किये जा रहे लक्ष्यों में, जनपद में उपलब्ध लाभार्थियों के अनुसार, लक्ष्यों में परिवर्तन/संशोधन के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को अधिकृत किया जाता है। आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा किये गये लक्ष्य संशोधन की सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

5- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्मित कराये जाने वाले आवासों हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं:-

PMAYG TARGET YEAR 2019-20							
SNo	**District Name**	**Remaining Beneficiaries in PWL after coverage till 2018-19**			**Proposed target for 2019-20**		
		Others	Minorities	**Total**	Others	Minorities	**Total**
1	2	4	3	5	7	6	8
	Total	**359680**	**19796**	**379476**	**134104**	**19796**	**153900**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	**AGRA**	46	2	48	28	2	30
2	**ALIGARH**	704	45	749	422	45	467
3	**AMBEDKAR NAGAR**	4098	6	4104	1486	6	1517
4	**AURAIYA**	9004	316	9320	3294	316	3635
5	**AYODHYA**	8079	153	8232	2953	153	3131
6	**AZAMGARH**	921	38	959	553	38	591
7	**BAGHPAT**	0	0	0	0	0	0
8	**BAHRAICH**	22320	4585	26905	8204	4585	12814
9	**BALLIA**	10502	114	10616	3847	114	3986
10	**BALRAMPUR**	1200	11	1211	417	11	453
11	**BANDA**	12788	280	13068	4690	280	4995
12	**BARABANKI**	5736	84	5820	2090	84	2199
13	**BAREILLY**	1752	2	1754	621	2	648
14	**BASTI**	6959	0	6959	2541	0	2566
15	**BIJNOR**	3	3	6	2	3	5
16	**BUDAUN**	5009	1004	6013	1847	1004	2851
17	**BULANDSHAHR**	177	32	209	106	32	138
18	**CHANDAULI**	4131	80	4211	1738	80	1818
19	**CHATRAPATI SAHU JI MAHARAJ NAGAR**	10271	2669	12940	3762	2669	6456
20	**CHITRAKOOT**	8727	39	8766	3192	39	3256
21	**DEORIA**	969	4	973	581	4	585
22	**ETAH**	2695	0	2695	969	0	994
23	**ETAWAH**	2738	24	2762	984	24	1033
24	**FARRUKHABAD**	5529	725	6254	2013	725	2763
25	**FATEHPUR**	10745	167	10912	3936	167	4128
26	**FIROZABAD**	732	2	734	439	2	441
27	**GAUTAM BUDDHA NAGAR**	0	0	0	0	0	0
28	**GHAZIABAD**	0	0	0	0	0	0
29	**GHAZIPUR**	3035	22	3057	1093	22	1141
30	**GONDA**	5659	172	5831	2060	172	2258
31	**GORAKHPUR**	4314	9	4323	1564	9	1599
32	**HAMIRPUR**	3223	19	3242	1162	19	1207
33	**HAPUR**	1	4	5	1	4	5
34	**HARDOI**	10946	555	11501	4009	555	4590
35	**JALAUN**	3324	39	3363	1199	39	1264
36	**JAUNPUR**	6878	322	7200	2510	322	2858
37	**JHANSI**	2352	0	2352	841	0	867
38	**JYOTIBA PHOOLE NAGAR**	0	0	0	0	0	0
39	**KANNAUJ**	5955	191	6146	2169	191	2386
40	**KANPUR DEHAT**	4486	2	4488	1628	2	1656
41	**KANPUR NAGAR**	1275	30	1305	444	30	500
42	**KASHIRAM NAGAR**	673	70	743	404	70	474
43	**KAUSHAMBI**	4174	160	4334	1513	160	1699
44	**KHERI**	13934	506	14440	5111	506	5643
45	**KUSHI NAGAR**	4861	428	5289	1766	428	2220
46	**LALITPUR**	2865	18	2883	1030	18	1074

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

47	**LUCKNOW**	1657	0	1657	585	0	611
48	**MAHAMAYA NAGAR**	210	19	229	126	19	145
49	**MAHARAJGANJ**	5114	274	5388	1859	274	2159
50	**MAHOBA**	2722	0	2722	978	0	1004
51	**MAINPURI**	5184	36	5220	1885	36	1947
52	**MATHURA**	436	54	490	262	54	316
53	**MAU**	3688	34	3722	1335	34	1394
54	**MEERUT**	0	24	24	0	24	24
55	**MIRZAPUR**	6155	5	6160	2739	5	2744
56	**MORADABAD**	757	340	1097	454	340	794
57	**MUZAFFARNAGAR**	2	0	2	1	0	1
58	**PILIBHIT**	6923	1276	8199	2527	1276	3828
59	**PRATAPGARH**	19205	1364	20569	7055	1364	8444
60	**PRAYAGRAJ**	11105	268	11373	4069	268	4362
61	**RAE BARELI**	11231	0	11231	4116	0	4141
62	**RAMPUR**	225	450	675	135	450	585
63	**SAHARANPUR**	36	16	52	22	16	38
64	**SAMBHAL**	105	7	112	63	7	70
65	**SANT KABEER NAGAR**	5047	727	5774	1836	727	2588
66	**SANT RAVIDAS NAGAR**	817	37	854	490	37	527
67	**SHAHJAHANPUR**	8408	535	8943	3075	535	3635
68	**SHAMLI**	1	0	1	1	0	1
69	**SHRAVASTI**	2401	127	2528	860	127	1012
70	**SIDDHARTH NAGAR**	2118	4	2122	756	4	785
71	**SITAPUR**	24554	902	25456	9052	902	8760
72	**SONBHADRA**	7772	39	7811	3299	39	3338
73	**SULTANPUR**	12318	295	12613	4516	295	4836
74	**UNNAO**	4190	15	4205	1520	15	1560
75	**VARANASI**	3509	16	3525	1269	16	1310
	Total	**359680**	**19796**	**379476**	**134104**	**19796**	**153900**

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 15/2019/339(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव,ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-G-20011/02/2019-RH(A/C) 366244, दिनांक 08.03.2019 के अनुक्रम में।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।